G-16/B
15/4/11

संख्या–521 /35–आ–1/2011

प्रेषक,

हिमॉशु सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

राज्य योजना आयोग–1 लखनऊः दिनॉक 11 अप्रैल, 2011

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–831/35–आ–1/2010, दिनांक 13 मई, 2010 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन reconstruction of water distribution network नामक परियोजना को रू. 4000.00 लाख की लागत (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 4000.00 लाख की धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवमुक्त की गई थी, जिसमें से वर्ष 2010–11 में मात्र रू 3765.27 लाख का व्यय हुआ है तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। अतः परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये वांछित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की अवशेष रू 234.73 लाख (रूपये दो करोड़ चौतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3– इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत में सम्मिलित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट के अनुदान संख्या–40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष–2575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम –आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं–01–जल वितरण नेटवर्क–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2012 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व

निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(हिमाँशु सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–521(1)/35–आ–1/2011 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई/सिंचाई विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(हिमाँशु सिंह)
विशेष सचिव।